	(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column (7).			

[F. No. 23011/37/2018-PT]

RANJIT KUMAR SHAW, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2026

सा.का.नि. 129.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैड कांस्टेबल (घुड़सवारी), भर्ती नियम, 2018 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है, या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में हैड कांस्टेबल (घुड़सवारी), के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हेड कांस्टेबल (घुड़सवारी) (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2026 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. **भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—** भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी, जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

या

(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. **शिथिल करने की शक्ति.—** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ पर वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.—** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम।	**पदों की संख्या।**	**वर्गीकरण।**	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर।**	**चयन अथवा अचयन पद।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु- सीमा।**	**सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएँ।**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
हैड कांस्टेबल (घुड़सवारी)।	7* (2026) * कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग' अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (25500 - 81100 रु.)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएँ प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।**	**भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।**	**प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में, वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।**
(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	लागू नहीं होता ।	प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा।	**प्रोन्नति :** वेतन मैट्रिक्स (19900-63200 रु) में स्तर -2 में आठ साल की नियमित सेवा वाले विभागीय कांस्टेबल। **प्रतिनियुक्ति :** केन्द्रीय पुलिस संगठनों या केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों या राज्य पुलिस संगठनों के ऐसे अधिकारी; (i) सदृश पद या हैड कांस्टेबल (अश्वारोही पुलिस) धारण किए हुए; या (ii) कांस्टेबल (अश्वारोही) पुलिस जिन्हें मूल कैडर में प्रमोशन के लिए फिट ग्रेड दिया गया है।

			वांछनीय; (i) अश्वारोहण में 5 वर्ष तक का प्रशिक्षण अनुभव रखते हो। (ii) मान्यता प्राप्त घुड़सवारी स्पर्धाओं में विशिष्टताएं विजेता हो। **टिप्पण-1:** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी। **टिप्पण-2:** प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति हैं, तो उसकी संरचना।	**ऐसी परिस्थितियाँ, जिनमें भर्ती करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना है।**
(12)	**(13)**
समूह - ग विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति पर विचार के लिए) जिनमें निम्नलिखित होंगे – 1. उप निदेशक – अध्यक्ष; 2. सहायक निदेशक – सदस्य; और 3. प्रशासनिक अधिकारी – सदस्य ।	लागू नहीं होता ।

[फा. सं. 23011/30/2025-पीटी]

रंजीत कुमार साव, अवर सचिव

New Delhi, the 13th July, 2026

G.S.R. 129.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Head Constable (Riding), Recruitment Rules, 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Head Constable (Riding) in the Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Hyderabad, under the Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement.—** (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Sardar Vallabhbhai Patel National Police Academy, Head Constable (Riding) Group 'C' Post, Recruitment Rules, 2026.

   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of the post, classification and level in pay matrix.—** The number of said post, its classification and the level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age-limit, educational qualifications, etc.—** The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification.—** No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the above said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are grounds for doing so, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Saving.—** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	**Number of post**	**Classification.**	**Level in the pay matrix.**	**Whether selection post or non-selection post.**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Head Constable (Riding).	7* (2026) * Subject to variation dependent on work.	General central service Group-'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-4 in the Pay Matrix (Rs. 25500-81100).	Not applicable.

Age-limit for direct recruits.	**Educational and other qualifications required for direct recruits.**	**Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.**	**Period of probation, if any.**	**Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation / absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.**
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which by deputation.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	**If a departmental Promotion Committee exists, what is its composition.**	**Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.**
(11)	(12)	(13)
Promotion: Departmental constable with eight years regular service in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).	Departmental Promotion Committee (for considering	Not applicable.

Deputation: Officials from amongst Central Police Organisations or Central Armed Police Forces or State Police Organisations;- (i) holding analogous post or Head Constable (Mounted Police); or (ii) Constable (Mounted) Police who have been graded fit for promotion in the parent cadre. **Desirable:** (i) upto five year of training experience in horse riding. (ii) winning distinctions in recognised Equestrian events. **Note 1:** Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department shall ordinarily not exceed three years. **Note 2:** The upper age-limit for the appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.	promotion) consisting of: - 1. Deputy Director – Chairperson, 2. Assistant Director – Member, 3. Administrative Officer - Member.	

[F. No. 23011/30/2025-PT]

RANJIT KUMAR SHAW, Under Secy.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

नई दिल्ली, 16 जून, 2026

सा.का.नि. 130.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान दिल्ली कनिष्ठ अनुवादक (हिंदी) नियम, 1988 के अधिक्रमण के संबंध में, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र में कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र, कनिष्ठ अनुवादक अधिकारी (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम- 2026 हैं|

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे ।

2. पद संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स का स्तर- उक्त पद की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि- भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता- वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है!

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :